

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/212192/LCK/LUCKNOW/9894/CFO

दिनांक: 03-08-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SARVODAYA SHIKSHAN SANSTHAN** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NEW PUBLIC COLLEGE,BLOCK D SOUTH CITY,RAIBARELI ROAD,LUCKNOW** तहसील - **SAROJNINAGAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
NEW PUBLIC COLLEGE	3	0	10.90 mt.

तथा प्लॉट एरिया **4597.27 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SARVODAYA SHIKSHAN SANSTHAN** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **06-08-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **AASHARAM SHUKLA ,8299490386** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-08-2026** से **05-08-2031** तक **5** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या एवं पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र के क्रम में भवन का नवीनीकरण अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। भवन के कारिडोर, निकास मार्ग एवं स्टेयरकेस को टेरेस तक लॉक इत्यादि के द्वारा कभी भी बाधित न किया जाय। उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 के प्रस्तर-26/नियमावली-2024 के नियम-56(1) के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील रखने व उसके रख-रखाव एवं जीवन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी तथा नियमानुसार प्रत्येक छः माह में अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। भवन का इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANKUSH MITTAL

C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4

06-08-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-08-2026
स्थान : LUCKNOW

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.